

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: 2(19)नविवि/2017

19/07/2018  
जयपुर, दिनांक: 19 JUL 2018

अधिसूचना

आम नागरिकों तथा नगर सुधार न्यासों के मध्य लम्बे समय से विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण लम्बित हैं जिस कारण आमजन को जहां कठिनाइयों एवं मानसिक तनाव से ग्रस्त होना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर नगर सुधार न्यासों पर भी आर्थिक एवं प्रशासनिक भार लगातार बढ़ रहा है। साथ ही सार्वजनिक हित की कई योजनाओं के क्रियान्वयन, शहरी भूमियों के समुचित उपयोग, क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास आदि में कठिनाईयां भी उत्पन्न होती रही है। इन विवादों के निस्तारण को लम्बे समय तक नजर अंदाज किया जाना सार्वजनिक हित में नहीं है। अतः राज्य सरकार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104-क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के नगर सुधार न्यासों एवं पक्षकारों के मध्य विवादों के निस्तारण के लिए समझौता समितियों का गठन एवं समझौते से विवादों के निपटारे की प्रक्रिया के निर्धारण के लिये निम्नांकित निर्देश जारी करती है :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार :- (1) इन निर्देशों का नाम "नगर सुधार न्यास और पक्षकारों के मध्य विवादों के निपटारे के लिये समझौता समिति के गठन एवं प्रक्रिया संबंधी निर्देश, 2018" होगा।

(2) ये निर्देश अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

(3) ये निर्देश राज्य के समस्त नगर सुधार न्यासों के नगरीय क्षेत्रों में लागू होंगे।

2. परिभाषायें :- (1) इन निर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,-

(i) "अधिनियम" से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) अभिप्रेत है;

(ii) "अध्यक्ष" से इन निर्देशों के पैरा 4 के अन्तर्गत गठित समझौता समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(iii) "पैरा" से इन निर्देशों का पैरा अभिप्रेत है;

(iv) "प्ररूप" से इन निर्देशों के संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(v) "न्यास" से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) के अन्तर्गत गठित नगर सुधार न्यास अभिप्रेत है; तथा

(vi) "समझौता समिति" से इन निर्देशों के पैरा 4 के अन्तर्गत गठित समझौता समिति अभिप्रेत है।

3. समझौता समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विवादग्रस्त विषय :- समझौता समिति निम्नांकित विषयों से संबंधित प्रकरणों का निपटारा कर सकेगी :-

(i) भवन निर्माण स्वीकृति संबंधी प्रकरण;

- (ii) भूमि या भवन के अनाधिकृत उपयोग एवं तत्संबंधी मामले;
- (iii) बिना स्वीकृति या स्वीकृति के विपरीत निर्माण के मामले;
- (iv) न्यास के द्वारा अन्य व्यक्तियों को आवंटित किये गये या नीलामी से विक्रय किये गये भूखण्डों का कब्जा देने से संबंधित प्रकरण;
- (v) लीज डीड के निष्पादन या लीज डीड जारी करने अथवा लीज राशि या अन्य बकाया राशि वसूली संबंधी प्रकरण;
- (vi) लीज अवधि या ग्राउण्ड रेंट या किराये के आधार पर दिए गए स्थलों अथवा भूखण्डों के नियमन या इनकी लीज अवधि विस्तार के प्रकरण;
- (vii) भूमि के स्वत्व (टाइटल) या उसकी कीमत की वसूली संबंधी प्रकरण;
- (viii) अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा भुगतान संबंधी प्रकरण; तथा
- (ix) अधिनियमों, नियमों, विनियमों, विभिन्न आज्ञाओं, परिपत्रों, अधिसूचनाओं के प्रावधानों की क्रियान्विति संबंधी विवाद !

4. समझौता समिति का गठन :- प्रत्येक न्यास के स्तर पर समझौता समिति गठित की जाती है जिसमें निम्नांकित अध्यक्ष एवं सदस्य होंगे :-

- |       |  |            |
|-------|--|------------|
| (i)   | संबंधित नगर सुधार न्यास का अध्यक्ष                       | अध्यक्ष    |
| (ii)  | संबंधित नगर सुधार न्यास का सचिव                          | सदस्य-सचिव |
| (iii) | संबंधित नगर विकास न्यास का लेखा सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी | सदस्य      |
| (iv)  | संबंधित नगर विकास न्यास का वरिष्ठतम नगर नियोजक           | सदस्य      |

5. समझौता समिति की शक्तियां :- (1) समझौता समिति गुणदोष के आधार पर न्यायालय के बाहर पक्षकारों के साथ समझौता वार्ता कर न्यायालयों में लम्बित न्यायिक प्रकरणों/वादों में समझौता करने या वाद वापिस लेने की कार्यवाही कर सकेगी।

(2) समझौता समिति ऐसी संपत्तियों, जिनकी अनुमानतः लागत प्रचलित आरक्षित दर के अनुसार पचास लाख रूपये तक है, के प्रकरणों का निस्तारण कर सकेगी तथा ऐसे मामलों में तीन लाख रूपये तक ब्याज, शास्ति, शुल्क व अन्य चार्जेंज में गुण-दोष के आधार पर छूट देने के लिए अधिकृत होगी।

(3) नियमों, विनियमों तथा अधिनियम में ऐसे मामलों में समझौते के लिए अन्यथा प्रावधानों के रहते हुए भी समझौता समिति का निर्णय न्यास के लिये विधि अनुरूप माना जावेगा।

(4) समझौता समिति के द्वारा निर्णय में यदि कोई शुल्क या अन्य राशि जमा करवाना अलग से आदेशित किया गया है तो वह राशि न्यास के कोष में जमा करवाई जावेगी।

(5) समझौता समिति का निर्णय तब तक क्रियान्वित नहीं किया जावेगा जब तक कि आवेदक व्यक्ति के द्वारा बकाया शुल्क, शास्ति, मूल राशि, ब्याज आदि समझौता समिति द्वारा निर्धारित नीति, प्रक्रिया एवं समयावधि में जमा नहीं करवा दिया जावे।

